

Date:-01/08/2023

To, The Secretary, Listing Department National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, BKC, Bandra (E) Mumbai-MH 400051. To,
The Secretary,
Corporate Relationship Department
BSE Limited
P. J. Towers, Dalal Street
Mumbai- MH 400001.

REF:-(ISIN-INE908D01010) SCRIP CODE BSE-531431, NSE Symbol-SHAKTIPUMP

<u>Sub:- Newspaper Advertisement of the Notice to Shareholders regarding transfer of Equity Shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account.</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose copies of newspaper advertisement published in **(Business Standard Hindi and Free Press English) on Tuesday, 01**st **August, 2023**, informing the shareholders about proposed transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account in respect of those shares on which dividend have remained unclaimed for seven consecutive years or more as per the provisions of the Companies Act, 2013 and rules informed thereunder.

The Company has also uploaded the details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF on its website www.shaktipumps.com.

You are requested to please take on record our above said information for your reference.

Thanking you,

Yours faithfully, For Shakti Pumps (India) Limited

Ravi Patidar Company Secretary

गुजरात के दहेज में विनिर्माण इकाई के लिए 710 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय मंजूर 255 ₹ 263.60 पिछला बंद भाव ₹ 269.60 आज का बंद भाव

परसिस्टेंट सिस्टम्स

गूगल क्लाउड के साथ मिलकर जेनरेटिव एआई सॉल्यूशंस शुरू किया ₹ 4,697.30 पिछला बंद भाव ₹ 4,744.80 आज का बंद भाव 1.0 %

624.4 632.5 Jul 2023

यूपीएल 633 वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 81 फीसदी घटकर 630 १६६ करोड़ रुपये रह गया 625.1 627 ₹ 625.10 पिछला बंद भाव ₹ 624.40 आज का बंद भाव

-0.10 % ▼

वेलस्पन इंडिया 113 वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 7 गुना बढ़कर १६२ करोड़ रुपये हो गया ¹⁰³ **₹ 100.30** पिछला बंद भाव 98 ₹ 109.70 आज का बंद भाव 9.40 %

संक्षेप में

भुगतान उपकरणों के लिए पीएलआई योजना

पेटीएम के नाम से संचालित फिनटेक कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस चाहती है कि सरकार स्थानीय उत्पादन को बढावा देने के लिए भगतान उपकरणों को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत लाए। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पेटीएम के संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी विजय शेखर शर्मा ने पेमेंट साउंडबॉक्स के दो नए मॉडल लॉन्च करने की घोषणा करते हुए कहा कि पेटीएम साउंडबॉक्स पुरी तरह से भारत में बने हैं। हमने साउंडबॉक्स का स्वदेशीकरण किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम एक नई चीज के दबाव में हैं। जब साउंडबॉक्स विदेश से आते हैं, तो उन पर शुल्क नहीं लगाया जाता है, लेकिन हमें शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार से मेरा अनुरोध है कि भुगतान उपकरणों के लिए भी पीएलआई योजना लाई जाए।

टॉरंट ग्रुप का एमकैप एक

भारत के विविध व्यवसाय समह टॉरंट ग्रप का बाजार पंजीकरण एक लाख करोड़ रूपये को पार कर गया है। इसमें बिजली इकाइयों और फार्मा कंपनी के प्रदर्शन ने अहम भूमिका निभाई है। टॉरंट समूह की दो सूचीबद्ध कंपनियों टॉरेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और टॉरंट पावर लिमिटेड का संयुक्त बाजार पुंजीकरण सोमवार को कारोबार के दौरान एक लाख करोड़ रुपये के ऊपर पहुंच गया।

शानदार प्रतिफल के साथ

बंसल परिवार फ्लिपकार्ट से बाहर

पीरजादा अबरार बेंगलूरु, 31 जुलाई

-11.40 % **▼**

निया की सबसे बड़ी रिटेलर वॉलमार्ट ने ई-कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट में टाइगर ग्लोबल की हिस्सेदारी खरीदने के लिए 1.4 अरब डॉलर का भगतान किया है। 2021 में जापान के सॉफ्टबैंक, वॉलमार्ट और अन्य निवेशकों को शेयर बेचे जाने के बाद इस सौदे से फ्लिपकार्ट का मुल्य 38 अरब डॉलर से घटकर 35 अरब डॉलर रह गया है। टाइगर ग्लोबल के साथ साथ फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक बिन्नी बंसल और एक्सेल अपनी हिस्सेदारी वॉलमार्ट को बेचकर इस ई-कॉमर्स कंपनी से अब पूरी तरह बाहर निकल गए हैं।

सूत्रों का कहना है कि वॉलमार्ट का यह निवेश फ्लिपकार्ट को आईपीओ लाने की राह मजबूत बनाने की रणनीति का भी

फ्लिपकार्ट में टाइगर ग्लोबल की हिस्सेदारी खरीदने के लिए वॉलमार्ट द्वारा 1.4 अरब डॉलर चुकाने की खबर सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित हुई। इस खबर में टाइगर ग्लोबल द्वारा इस संबंध में निवेशकों को भेजे गए पत्र का चिक किया गया था।



डेटा विश्लेषण फर्म ट्रैक्सकन के अनुसार, एक्सेल-इंडिया और अमेरिका, दोनों की शुरू में (2008 में) फ्लिपकार्ट में संयुक्त रूप से 20 प्रतिशत से ज्यादा

हिस्सेदारी थी। बाद में उन्होंने 2018 में

फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट द्वारा बड़ी

हिस्सेदारी खरीदे जाने के बाद अपनी

2018 में. जब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में 16 अरब डॉलर का निवेश किया था, तो बेंगलुरु की इस फर्म का मुल्यांकन 21 अरब डॉलर से कम था।

वॉलमार्ट का

टाइगर ग्लोबल की

वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में

हिस्सेदारी 1.4 अरब डॉलर

सह-संस्थापक बिन्नी

अपनी हिस्सेदारी वॉलमार्ट

बंसल व एक्सेल समूह

को बेचकर ई कॉमर्स

कंपनी से बाहर हो गए

टाइगर ग्लोबल अब

करीब 3.5 अरब डॉलर के

लाभ के साथ फ्लिपकार्ट

से पूरी तरह बाहर हो गई है

नया दांव

में खरीदी है

हालांकि एक्सेल ने 1.1 प्रतिशत की छोटी हिस्सेदारी बरकरार रखी थी, लेकिन 2023 में अब वह पूरी तरह बाहर हिस्सेदारी घटाकर करीब 6 प्रतिशत की। हो गई है। सूत्रों के अनुसार, इससे उसे

अपने कुल निवेश पर करीब 1.5 अरब-2 अरब डॉलर या 25-30 गुना प्रतिफल हासिल हुआ है। इसी तरह, वॉलमार्ट द्वारा अधिगहण किए जाने के बाद टाइगर ग्लोबल की भी फ्लिपकार्ट में अल्पांश हिस्सेदारी थी, लेकिन अब वह करीब 3.5 अरब डॉलर के लाभ के साथ पुरी तरह इस कंपनी से बाहर हो गई है।

भले ही फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक सचिन बंसल ने 2018 में अपनी पूरी हिस्सेदारी वॉलमार्ट को बेच दी थी, लेकिन अन्य सह-संस्थापक बिन्नी बंसल ने वॉलमार्ट द्वारा अधिग्रहण किए जाने से पहले तक अपनी थोड़ी हिस्सेदारी बरकरार रखी थी।

बिन्नी बंसल अब अपनी शेष हिस्सेदारी (करीब 1-1.8 प्रतिशत) भी वॉलमार्ट को बेच चुके हैं। हालांकि बिन्नी बंसल कंपनी के बोर्ड में बने रहेंगे। वह फोनपे में भी निवेशक हैं।

इस घटनाक्रम से अवगत एक व्यक्ति ने कहा, 'इन सभी निवेशकों को अपनी हिस्सेदारी बेचने के बाद काफी मोटा मुनाफा हुआ है।'

वॉलमार्ट इंक. के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्याधिकारी डग मैकमिलन ने बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ एक साक्षात्कार में कहा था कि कंपनी जरूरत पड़ने पर निवेश करेगी।

फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु संग किया करार

शाइन जैकब चेन्नई, ३१ जुलाई

तमिलनाडु ने सोमवार को ताइवान फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया। कंपनी ने 1,600 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश से कांचीपुरम जिले में



कम्पोनेंट मोबाइल निर्माण इकाई लगाने के लिए यह समझौता किया है। इस संयंत्र से 6,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। फॉक्सकॉन इस साल भारत में ईवी निर्माण इकाई लगाने की अपनी योजना के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट पर भी तमिलनाडु सरकार के साथ बातचीत कर रही है।

तमिलनाडु के साथ समझौते के बाद, फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू ने चेन्नई में मीडिया को बताया कि संयंत्र के स्थान के बारे में निर्णय लिया जाना अभी बाकी है और भारत में सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण क्षमता विस्तार की योजनाओं पर कार्य चल रहा है।

यह हॉन हुई टेक्नोलॉजी ग्रप द्वारा पहला बड़ा निवेश है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सोमवार को लियु के साथ बैठक के बाद एक ट्रीट में कहा, 'तमिलनाडु में विभिन्न निवेश अवसरों पर चर्चा हुई। हमने ईवी और इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट में आगामी निवेश पर भी बातचीत की है। हमारी अन्य प्रमुख इच्छा तमिलनाडु को एशिया का नया उभरता इलेक्ट्रॉनिक निर्माण

समृह की सहायक इकाई फॉक्सकॉन इंडस्ट्रियल इंटरनेट (एफआईआई) के मख्य कार्याधिकारी ब्रैंड चेंग ने इस महीने के शरू में तमिलनाड के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और राज्य के उद्योग, निवेश संवर्द्धन एवं वाणिज्य मंत्री टी आर बी राजा के साथ समझौते के बारे में चर्चा की थी। तब एफआईआई ने कर्नाटक के तुमकुरु में 8,800 करोड़ रुपये के निवेश से एक संयंत्र लगाने का भी प्रस्ताव रखा था।

चेन्नई संयंत्र के बारे में पुछे जाने पर चेयरमैन ने विस्तार योजनाओं में राज्य सरकार के समर्थन की सराहना की। लिय ने आईआईटी रिसर्च पार्क में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, 'हमने उत्पादन में कई सफलताएं हासिल की हैं। हमने 6-7 इमारतों का निर्माण किया है। मैं यह देखकर उत्साहित हूं कि सब कुछ ठीक चल रहा है और सरकार से भरपूर मदद मिल रही है। निश्चित तौर पर हम भविष्य में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। मौजूदा समय में हमारे साथ 40,000 कर्मी जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ने के लिहाज से यह बेहद महत्त्वपूर्ण आधार है।'

लाख करोड़ रुपये के पार

OSBI

स्ट्रेस्ड ॲसेट रिझोल्यूशन ग्रुप, कॉरपोरेट सेन्टर, इक्कीसवीं मंजिल, मेकर टावर्स 'ई' विंग, कफ़ परेड, मुंबई – 400005

ई–नीलामी के माध्यम से पात्र खरीदारों (अनुमत एआरसी/एनबीएफसी/बेंकों/वित्तीय संस्थाओं) को स्ट्रेस्ड लोन एक्सपोजर का हस्तांतरण

भारतीय स्टेट बैंक, ₹ 40.09 करोड़ (केवल ₹ चालीस करोड़ नौ लाख) कुल मूलधन के साथ 1 (एक) खाते के स्ट्रैस्ड लोन एक्सपोजर के हस्तांतरण के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक/नियामकों द्वारा जारी लागू नियमों के अधीन, ई-नीलामी के माध्यम से 'जैसा है जहाँ है' 'जैसा है जो है', 'जो कुछ भी है' और 'दायित्वरहित' आधार पर पात्र प्रतिभागियों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है

सभी इच्छक पात्र प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे 'रुचि की अभिव्यक्ति' के माध्यम से ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अपनी इच्छा प्रस्तुत करें और गैर-प्रकटीकरण समझौते के निष्पादन के बाद, यदि पहले से ही निष्पादित नहीं किया गया है (वेब नोटिस में उल्लिखित समयसीमा के अनुसार) ई-मेल आईडी dgm.sr@sbi.co.in पर संपर्क करें. कृपया बैंक की वेब साइट https://bank.sbi पर जाएं और अधिक विवरण "SBI in the news>Auction Notices>ARC & DRT" में लिंक पर क्लिक करें (वेब नोटिस)

कृपया ध्यान दें कि बैंक अपने पास https://bank.sbi ("SBI in the news>Auction Notices>ARC & DRT" में लिंक पर क्लिक करें) पर शुद्धिपत्र अपलोड करके बिना कोई कारण बताए प्रस्तावित ई-नीलामी को आगे जारी न रखने और ई-नीलामी को परिवर्तित करने, किसी भी नियम और शर्तों आदि को किसी भी स्तर पर संशोधित करने का अधिकार सरक्षित रखता है। बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा

स्थान: मुंबई तिथि: 01.08.2023

उप – महापबंधक (एआरुपी)

शक्ति पम्पस् (इंडिया) लिमिटेड

सीआईएन : L29120MP1995PLC009327

S SHAKTI

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 401, 402 एवं 413, सेक्टर-III, इण्डस्ट्रीयल एरिया, पीथमपुर जिला धार (म.प्र.)-454 774, फोन: 07292-410500, फैक्स: 07292-410645 ई-मेल : cs@shaktipumpsindia.com, वेबसाईट : www.shaktipumps.com

कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए सूचना विषयः निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) खाते में कम्पनी के इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण

यह सचना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 124 के तहत एवं कारपोरेट मामलों द्वारा अधिसचित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा हस्तांतरण और रिफण्ड) नियम, 2016 ("नियम") के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित हुई है। अन्य मामलों के बीच, इन नियमों में, सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात साल या उससे अधिक के लिए लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया ऐसे सभी शेयरों का हस्तांतरण निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 124(6) के तहत भारत सरकार द्वारा गठित एक कोष में किया जाना अनिवार्य है।

कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को कंपनी के साथ पंजीकृत उनके पते पर व्यक्तिगत संचार भेजा है, जिनके शेयर उक्त नियमों के तहत आईईपीएफ को हस्तांतरित किए जाने के लिए अधीन है। इस नोटिस के द्वारा सचना दी जाती है कि जिन शेयरों पर लाभांश का दावा 7 वर्षों से नहीं किया गया है. अर्थात वर्ष 2015-16 से उन्हें IEPF में इस्तांतरित करने का प्रस्ताव है।

दावा न किए गए लाभांश और आईईपीएफ को हस्तांतरण के लिए देय शेयरों का विवरण भी कंपनी की वेबसाइट www.shaktipumps.com पर उपलब्ध है।

संबंधित शेयरधारकों से एतद द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे 03 नवंबर, 2023 को या उससे पहले कंपनी को एक आवेदन करके अपनी लाभांश राशि का दावा करें। यदि उक्त तिथि को या उससे पहले कोई वैध दावा नहीं किया जाता है, तो कंपनी शेयरों को IEPF में हस्तांतरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी।

फिजिकल रूप में शेयर रखने वाले संबंधित शेयरधारक और जिनके शेयर आईईपीएफ में हस्तांतरण होने के लिए उत्तरदायी हैं, वे ध्यान दें कि कंपनी आईईपीएफ और कंपनी को शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य से उनके द्वारा रखे गए मूल प्रमाण पत्र के बदले डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करेगी। डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र को डीमैट फॉर्म में बदलने और आईईपीएफ के पक्ष में हस्तांतरण के लिए कॉर्पोरेट एक्शन के माध्यम से डिपॉजिटरी को सचित करेगा। इसके अलावा, मल शेयर प्रमाण पत्र जो मूल शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत हैं जो आईईपीएफ को हस्तांतरित किया गया है एवं वह स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगा और गैर-परक्राम्य माना जाएगा। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले संबंधित शेयरधारक ध्यान दें कि कंपनी आईईपीएफ के डीमैट खाते के पक्ष में शेयरों के हस्तांतरण के लिए कॉर्पोरेट एक्शन के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

शेयरधारक ध्यान दें कि बेदावा लाभांश और शेयर दोनों जो आईईपीएफ खाते में हस्तांतरित किए है, इस तरह के शेयरों पर एकत्रित सभी लाभों सहित यदि कोई हो, वे नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से आईईपीएफ प्रपत्र 5 के द्वारा दावा कर सकते हैं (www.iepf.gov.in)। शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि ऐसे लाभांश और शेयर जो कि आईईपीफ खाते में हस्तांतरित किये गये हैं उससे संबंधित दावों के लिये कंपनी व रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट उत्तरदायी नहीं होंगे।

अगर शेयरधारकों का इस विषय और नियमों पर कोई भी सवाल है तो वे कंपनी सचिव से कम्पनी के E-mail: cs@shaktipumpsindia.com या कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट Adroit Corporate Services Pvt. Ltd. 17-20, Jafferbhoy Industrial Estate, Marol Naka, Andheri (E), Mumbai 400059, India Tel. 022-42270400, E-mail: info@adroitcorporate.com पर संपर्क कर सकते हैं।

वास्ते : शक्ति पम्पस (इंडिया) लिमिटेड

रवि पाटीदार दिनांक: 31.07.2023 स्थान : **पीथमपुर** (कम्पनी सचिव)

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग केंद्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै, चेन्नै – 600 002 इण्डियन ओवरसीज़ बैंक निम्नलिखित के लिए बोली लगाने हेतु आमंत्रित करता है : गूवर्नमेंट् ई-मार्केट पोर्टल -

संबद्ध हार्डवेयर के साथ x86 सर्वर की खरीद। बोली संख्या : जीईएम/ 2023/ बी/ 3746119 दिनांकित : 26.07.2023

उपर्युक्त निविदा के लिए जीईएम दस्तावेज उल्लिखित वेबसाइटों पर www.iob.in एवं www.gem.gov.in उपलब्ध है, जहाँ से डाउनलोड किया जा सकता हैं । निर्विदा का विवरण और भविष्य में किए जाने वाले किसी भी संशोधन के लिए, उक्त वेबसाइट www.gem.gov.in का संदर्भ लेते रहें।

(अचल संपत्ति हेत्

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियत असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धार 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों क उपयोग करके कर्जदार न्यू कंचन ज्वैलर्स, चंद्र कांत सोनी और अनीता सोनी को 27.01.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HLAPBHP00405696 की राशि रू.22,63,910.54 /- (रुपए बाईस लाख तिरेसठ हजार नौ सौ दस और चौवन मात्र) और 24.01.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा (4) के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप अधिकारों का कार्यान्वयन करके 25.07.2023 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को प्रततदारा संपत्ति के साथ सीटा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 22,63,910.54 /- (रुपए बाईस लाख तिरेसठ हजार नौ सौ दस और चौवन मात्र) 24.01.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा । उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत

संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण प्लॉट नं.-43 का मकान, मापित 720 स्के.फीट, वैध्यनाथ सिटी, गाँव रसालखेड़ी भानपुर, करोंव रोड, भोपाल-462001, मध्यप्रदेश

सीमाएं: पूर्व : प्लॉट नं.53 पश्चिम: कॉलोनी रोड

दक्षिण: प्लॉट नं.44 उत्तर: प्लॉट नं.42 दिनांक: 25.07.2023 स्थान : भोपाल

प्राधिकत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

कब्चा सूचना

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (आइएचएफएल) प्राधिकृत अधिकारी होने के नार्व सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेन्ट ऑप सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार न्यृ कंचन ज्वैलर्स, चंद्र कांत सोनी और अनीता सोनी को 27.01.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसा आइएचएफएल का कर्ज खाता नं. HLAPBHP00405696 की राशि रू.22,63,910.54/- (रुपए बाईस **लाख तिरेसठ हजार नौ सौ दस और चौवन मात्र)** और <mark>24.01.2022</mark> के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचन की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी। इसके अलावा आ**इसीसीएल ने** दिनांक 27.06.2023 के असाइनमेंट करार द्वारा एसेट्स केअर एन्ड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड (एसीआरई) के पक्ष में उपरोक्त कर्ज खाते के अपने सभी अधिकार, शिर्षक और ब्याज को सोंपा गया है और लोन खाता **एसीआरई** की बुक्स में लोन खाता न HLAPBHP00405696 के रूप में पुन: क्रमांकित किया गया है।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा (4) के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 25.07.2023 को संपत्ति पर **आधिपत्य कर** लिया है

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एततदारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधा किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.22.63.910.54 /- (रुपए बाईस लाख तिरेसट हजार नौ सौ दस और चौवन मात्र) 24.01.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ एसेट्स केअर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड के आधीन होगा ।

. उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है अचल संपत्ति का विवरण प्लॉट नं.-43 का मकान, मापित 720 स्के.फीट, वैध्यनाथ सिटी, गाँव रसालखेड़ी भानपुर, करोंव

पूर्व : प्लॉट नं.53 उत्तर: प्लॉट नं.42 दिनांक : 25.07.2023 स्थान : भोपाल

रोड, भोपाल-462001, मध्यप्रदेश

पश्चिम: कॉलोनी रोड दक्षिण: प्लॉट नं.44

प्राधिकृत अधिकारी एसेट्स केअर एंड रिकंस्ट्रक्शन इंटरप्राइजेज लिमिटेड (102- टस्ट

गो फर्स्ट 15.5 लाख यात्रियों को लौटाएगी 597 करोड़ रु.

भाविनी मिश्रा नई दिल्ली, 31 जुलाई

राष्ट्रीय कंपनी विधिक पंचाट (एनसीएलटी) ने सोमवार को विमानन कंपनी गो फर्स्ट के बकायेदारों की समिति (सीओसी) से पूछा है कि क्या उन्होंने 3 मई को दिवालिया हो चुकी विमानन कंपनी के बंद होने के बाद से यात्रियों को पहले से कटाई गई टिकटों की रकम वापस करने की मंजूरी दी है।

समाधान पेशेवरों (आरपी) के अनुसार, गो फर्स्ट को 15.5 लाख यात्रियों को 597.54 करोड़ रुपये वापस करने हैं। इनमें 7 जून तक की पहले से कटाई गई टिकटें भी शामिल हैं। 15,25,862 यात्रियों ने ट्रैवल एजेंट के जरिये 582.77 करोड़ रुपये की टिकटें कटवाई थीं और 23,711 यात्रियों ने 14.77 करोड़ रुपये की टिकटें कंपनी की वेबसाइट से काटी थीं। सीओसी ऋणदाताओं की एक ऐसी समिति है जो दिवाला प्रक्रिया में सभी हितधारकों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। एनसीएलटी ने इस मामले में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) से भी उनकी प्रतिक्रिया मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। आरपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी श्रीनिवासन ने कहा कि यात्रियों की रकम वापसी की प्रक्रिया गो फर्स्ट की पुनरुद्धार योजना का हिस्सा है और सीओसी ने योजना के लिए अपनी

स्पाइसजेट को राहत नहीं

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सन ग्रुप के कल एयरवेज और इसके संस्थापक एवं विमानन कंपनी के पूर्व प्रवर्तक कलानिधि मारन के साथ कानून लड़ाई में फंसी विमानन कंपनी स्पाइसजेट की उस याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें मध्यस्थता फैसले को चुनौती दी गई थी। मध्यस्थता अदालत ने साल 2018 में अपने एक फैसले के तहत मारन को ब्याज सहित 579 करोड़ रुपये लौटाने के लिए स्पाइसजेट और उसके प्रवर्तक अजय सिंह को निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय का यह फैसला विमानन कंपनी के लिए झटका माना जा रहा है।

मध्यस्थता अदालत ने निर्देश दिया था कि पूर्व प्रवर्तक कल एयरवेज और मारन को वारंट के एवज 308 करोड़ रुपये और भुनाने योग्य तरजीही शेयर के एवज में 270 करोड़ रुपये लौटाए जाएंगे। विमानन कंपनी ने उस फैसले को रह करने की मांग की थी जिसमें उन्हें मारन को 270 करोड़ रुपये लौटाने को कहा गया था। साथ ही कंपनी ने ब्याज पर भी छट मांगी थी।

IndiaShelter इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. Home Loans

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट-15, 6वाँ तल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा-122002 शाखा कार्यालयः प्लॉट नं. 69, तीसरा तल, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल-462011

अचल संपत्ति के लिए भौतिक कब्जा सूचना

जबकि, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के अघोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति (हित) प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग कर यहाँ यथाउल्लिखित खाते के लिए तारीख को मांग सूचना जारी की जिसमें कर्जदार और संपत्ति मालिक/जमानती भी, से सूचना में उल्लिखित राशि को उक्त सूचना की तारीख़ से 80 दिनों के अन्दर अदा करने के लिए कहा गया। जबकि संपत्ति मालिक और अन्य के दारा राशि अदा न कर पाने पर एतददारा जिल्लिख कर्जदारों और सर्व सामान्य को सुचित किया जाता है कि अबोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 व 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति/यों का प्रत्येक खाते के लिए उल्लिखित तारीखों को भौतिक कब्जा ले लिया है। अब, विशेष रूप से र्जिदार और सर्व जनों को सामान्य रूप में संपत्ति/यों से कोई भी लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति/यों के साथ कोई भी लेन–देन नीचे उल्लिखित राशि और इस पर ब्याज, लागतों आदि के लिए के लिए इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के प्रमार के अधीन होगा।

Ŗ V	_{Б.} कर्जदार ∕ जमानती तं. (संपत्ति मालिक) का नाम और ऋण खाता संख्या	प्रमारित∕बंधक संपत्ति (संपत्ति के समस्त भाग व खंड) का विवरण	मांग सूचना की तारीख, मांग सूचना की तारीख को देय राशि	भौतिक कब्जे की तारीख			
1.	सुनीता देवी, लव्या सिंह निवासी: फ्लैट नं. एफ-न, प्लॉट नं. 347 गोविंदधाम सर्व बर्म कालोनी, सेक्टर बी तहसील हुजूर, जिला मोपाल-482042 ऋण खाता संख्या: HL46LILONSOOOOSO28942	का क्षेत्रफल 59.9225 वर्ग मीटर (64 वर्ग फुट) के सभी भाग व खंड। सीमाएँ:- पूर्व- रोड, पश्चिम- प्लॉट नं. 348, उत्तर- पलैट नं.	रु. 17,11,541.71/— (रुपये सन्नह लाख ग्यार हजार पाँच सौ इकतालीस और इकहत्तर पैर	_{सा} (भौतिक क कब्जा)			
	किसी पुष्टताल के लिए कपूरा संपर्क करें:- श्री शालोक गर्मा - 9826507104 सश्री गीत जैन - 7489382570						

स्थानः मध्य प्रदेश दिनांकः 01.08.2023

(प्राधिकत अधिकारी) हिते इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लि. Mahindra कॉरपोरेट कार्यालयः महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लि. साधना हाउस, दूसरी मंजिल,

570, पी.बी. मार्ग, वर्ली, मुम्बई 400018, भारत, दूरभाषः +91 22 66523500, फैक्सः + 91 22 24972741 क्षेत्रीय कार्यालयः पहली मंजिल, सिया हाइट्स, बगसेवनिया मार्केट, राजा भोज कॉमप्लेक्स के पीछे, प्लॉट नं. 11, तुलसी विहार कॉलोनी, बगमुगलिया, भोपाल (म.प्र.)-462043 (म.प्र.) दूरभाषः 0755-3065245 इंदौर का पताः 415, चौथी मंजिल, शेखर सेंट्रल एबी रोड, पलिसया स्क्वायर, इंदौर (म.प्र.)-452001

अचल सम्पत्ति के लिए) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अधीन) चुंकि, मैसर्स महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (जिसे यहां बाद में "एमआरएचएफएल" कहा गया है), पंजीकृत कार्यालय **भोपाल** ग

ू क्या भाग्या कार्यालय **दंदोर** में के अधिकत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभत्तिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पनर्गठन तथ प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) के अधीन तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सुचना जारी की थी, जिसमें संबंधित कर्जदारों (नाम तथा पता नीचे उल्लेखित है) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम चुकत करने को कहा गया था।

यहां ऊपर उल्लेखित कर्जदार द्वारा संबंधित रकम चुकता करने में विफल होने के कारण, एतद्द्वारा यहां ऊपर उल्लेखित कर्जदारों तथ जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पेठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अँघीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी ने यहां निम्नेलिखित सम्पत्ति पर **भौतिक कब्जा** कर लिया है। विशेष तौर पर कर्जदारों तथा आम तौर पर जनसाधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथ इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा संबंधित रकम के साथ उस पर ब्याज की रकम के लिए मैसर्स महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेर के प्रभार का विषय होगा।

प्रत्याभृत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान

की	ओर आकर्षित किया जाता है।			
क्र .	कर्जदार/गारंटीदाता	प्रत्याभूत सम्पत्ति	मांग सूचना	भौतिक कब्जा
सं.	का नाम	(अचल सम्पत्ति)	की तारीख	की तारीख
		का विवरण	एवं रकम	
1.	(एलसी नं.: 742070	प्लॉट नं. 208, पी.एच. नं. 83 (पुराना 36) ग्राम शिवानी	03-12-2020	28-07-2023
	इंदौर शाखा)	तहसील एवं जिला इंदौर, मध्यप्रदेश। चौहद्दीः पूर्व मेंः तोला	रु. 977949/- (रुपये	भौतिक
	लखन सिंह (कर्जदार)	बा का प्लॉट, पश्चिम में: सामान्य सड़क, उत्तर में: सेवसिंह	नौ लाख सतहत्तर हजार	कब्जा
	रामकन्या बाई (सह-कर्जदार)	का प्लॉट, दक्षिणः बहादुर सिंह का प्लॉट	नौ सौ उनचास मात्र)	
स्था	नः इंदौर		अ	धेकृत अधिकारी
तार्र	ोखः 01.08.2023		महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फ	ाइनैंस लिमिटेड

जेनेरिक दवाओं पर बड़ी कंपनियों की नजर

सोहिनी दास मुंबई, 31 जुलाई

ट्रेड जेनेरिक्स दवाएं (वे दवाएं, जो वितरकों के जरिये प्रत्यक्ष रूप से बेची जा रही हैं) घरेलू फार्मा कंपनियों के लिए प्रमुख सेगमेंट बन रही हैं, क्योंकि संपूर्ण बाजार में बिक्री वृद्धि धीमी बनी हुई है। सिप्ला और एल्केम जैसी बड़ी कंपनियों की इस सेगमेंट में अच्छी मौजदगी है, लेकिन हाल में टॉरंट फार्मा और डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज (डीआरएल) जैसी कंपनियों ने भी इस बाजार में प्रवेश किया है। भारतीय दवा बाजार में बिक्री वृद्धि वित्त वर्ष 2016 के 5.6 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 0.1 प्रतिशत रह गई। केंद्र सरकार भी अपने ट्रेड जेनेरिक्स पर ध्यान दे रही है, क्योंकि उसने सस्ती दवाओं तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है।

जन औषधि स्टोरों ने पिछले पांच साल में 54 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की है। जन औषधि योजना को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के नाम से भी जाना जाता है। जन औषधि फार्मेसी स्टोरों के जरिये जेनेरिक दवाएं बड़ी छुट पर मुहैया कराई जाती हैं। ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं की बिक्री कंपनी द्वारा अपने कर्मियों और डॉक्टर के पर्चे के जरिये की जाती है। एक ताजा रिपोर्ट में नोमुरा के विश्लेषकों ने कहा है. 'पीएमबीजेपी के खलासे से संकेत मिलता है कि ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं के मुकाबले छुट करीब 85 प्रतिशत होती है।

सही

Tribal card in posting, Mal Singh made

INDORE | TUESDAY | AUGUST 1, 2023 www.freepressjournal.in

PATWARI RECRUITMENT

Shraman while performing Jain principles in memory of Acharya Devesh Divyanand and Sadhu Sadhvi Vrind. Under this, she is following a strict

30-day fasting schedule which would be completed on August 2.

HC TELLS GOVT: EITHER CANCEL OR GIVE JOBS

3 WEEKS SAYS GOVT CANNOT HOLD RECRUITMENT PROCESS FOR A LONGER PERIOD

> **OUR STAFF REPORTER** city.bhopal@fpj.co.in

The principal bench of Madhya Pradesh High Court in Jabalpur has given three weeks to the state government directing it to either cancel Patwari recruitment or restart the process. The government cannot hold recruitment process for a longer period, observed the court of Justice MS Bhatti

The court was hearing a petition of a candidate Prayagraj Dubey, a resident of Jabalpur, challenging the ban on the Patwari recruitment. The High Court in a notice to the State Government and MP Employees Selection Board seeking reply within three-week on the matter. The next hearing is scheduled for August 21.

Earlier, Chief Minister Shivraj Singh Chouhan had halted the appointments following alleged irregularities in the Patwari recruitment exam conducted by the Madhya Pradesh Staff Selection Board.

Advocate Aditya Sanghi, who appeared on behalf of petitioner, argued, "CM

OUR STAFF REPORTER

Vishisht School of Manage-

ment Indore organised a

National Symposium on

the topic 'Remapping of

Management Education in

NEP 2020'. All the speakers

were Indian Commerce As-

Executive vice president

of ICA from Bangalore Uni-

versity Prof M Jayappa,

dean faculty of commerce

and director at department

of applied economics from

Patna University and joint

Cong appoints

29 poll observers for

230 assembly seats

OUR STAFF REPORTER

city.bhopal@fpj.co.in

The AICC has appointed 29

election observers on the

basis of Lok Sabha con-

stituencies for the 230 Mad-

hya Pradesh Assembly

seats, on Monday . The 29 observers will execute Con-

gress election strategies to

win the assembly election.

Dr Naresh Kumar has

been given the charge of

Balaghat, Vasant Purke to

hold the responsibility of

Betul, Pradeep Tamta of

Bhind, Dr Anees Ahmed of

Chhindwara, MLA Rak-

ibuddin Ahmed who is also

husband of Congress leader Noori Khan to hold

the charge of Bhopal LS

Kamal Kant Sharma handed over responsibility

of Damoh, MLA Kirit Patel

of Dewas, MLA Tushar

Chaudhary of Dhar, MLA

Dinesh Thakur Guna,

Prakash Joshi of Gwalior,

Bimal Shah to hold the

charge of Narmadapuram

Joshi given the responsi-

bility of Indore, Paresh

Dhanani of Jabalpur, Vira-

jibhai Thummar Khajura-

ho, Punjabbhai Vansh

Khandwa, Anand Choud-

hary Khargone, member of

parliament Naranbhai

Rathwa Mandla, Alkaben

Kahatriya Mandsour, Anil Bharadwaj Morena, Gulab

Singh Rajgarh, Prabhaben

Taviyad Ratlam, Indrajeet Singh Sinha Rewa.

Rajendra Thakur Sagar,

Lalit Khagtra Satna, Pun-

abhai Gamit Shahdol, Ku-

mar Sshish Sidhi, Rajen-

dra Singh Parmar Tikam-

garh, Chakravarty Sharma

Ujjain and Rajesh Sharma

(Hosangabad),

constituency.

(ICA) policy

and

Commerce

sociation

Cong MLA asks 5 questions on Patwari examinations

Congress MLA PC Sharma on Monday sought reply from the state government to five questions related to patwari recruitment scam. Sharma alleged that the one-member commission was not being allowed to function properly. He has asked whether commission was trying to save some accused and whether BJP leaders were behind the scam. He has also asked whether commission had issued preliminary report. If not, when will it be released.

has no locus standi to stay the recruitment process. It is the Staff Selection Board which can do it. HC has given three weeks to the state government instructing either to cancel Patwari recruitment or start the process. Government cannot put it on hold for a longer time."

The advocate further told the court, "The Chief Minister has gone beyond his authority to stop the Patwari recruitment process. Only the Staff Selection Board has the authority to the recruitment

secretary of ICA Prof NK

Jha, principal of KPB Hin-

duja College Mumbai and

past president of ICA Prof

TA Shiware, past president

of ICA Prof Ramesh Man-

gal, past president of ICA

from Hyderabad Prof P Pu-

rushotam Rao, KPB Hindu-

ja College Mumbai and sec-

1 LAKH JOBS PROMISED, 60K APPOINTED SO FAR



The challenge is to appoint 40,000 more in 15 days

OUR STAFF REPORTER city.bhopal@fpj.co.in

Chief Minister Shivraj Singh Chouhan's promise on August 15, 2022 to recruit one lakh youths in a year is going to end.

The state government has, so far, recruited 60,000 people, and it has to appoint

process. CM has absolutely no right to take such a big decision because of any doubts. Patwari's examination was conducted with great difficulty, and Prayagraj (the petitioner) was hopeful that he would become Patwari but the recruitment was stopped."

He further said, "On July 13, CM stayed the recruitment process through a

National symposium organised by

40,000 more within 15 days, which is a big chal-

Monday, when Chouhan was handing over appointment letters to the youths recruited to excise, cooperative and labour departments, he said recruitment drive was going on.

The government is committed to recruit youths on efficiency, honesty and merit, Chouhan said, adding that all of them were appointed on the grounds of merit.

schemes will be carried out through you," the Chief Minister said. According to reports, re-

government

the

cruitment to 8,000 posts was stopped because of Patwari examination.

Besides, the results of examinations for some posts are yet to come.

tweet. The petitioner is a general category student. And after coaching for many years, he appeared in the exam and got 88.86% marks. He was sure to get the appointment, but on the basis of suspicion that there was fraud in the Patwari recruitment exam in Gwalior, the CM took a unilateral decision to stop the recruitment process.

highlighted the importance

of NEP 2020 and said that

we have to diversify educa-

tion in digital education in

case of traditional classes.

have to focus on giving voca-

tional and technical educa-

tion to students. He also

stressed on diversifying

commerce and management

education in NEP 2020 and

its various core specialisa-

tions to achieve goals of em-

ployability and entrepre-

Dr Kuldip Sharma said

that we have to focus on a

multidisciplinary educa-

neurship.

Prof NK Jha said that we

Indore Commissioner to woo 5 districts tribal card through Singh

OUR STAFF REPORTER city.bhopal@fpj.co.in

Tribal people have become the most important of all communities for the ruling party in Madhya Pradesh. It was evident in the

transfer of IAS officers Sunday night. Mal Singh Bhaydiya was appointed divisional commissioner of Indore, since he comes of a tribal family. It has happened for the first time

that an IAS officer, belonging to a tribal family, has been appointed commissioner of Indore division.

There are five districts Dhar, Barwani, Khargone, Jhabua and Alirajpur - under Indore division. All these five districts are dominated by tribal people. The government played

Poetry recitation held in memory of **Premchand**

MANDSAUR: A poetry recitation in memory of Munshi Premchand was organised by Akhil Bharatiya Sahitya Parishad of Mandsaur. The programme began under the chief hospitality of laughter fame Munna Battery, senior writer Gopal Bairagi and others. Nandkishore Rathore, Harish Dave, Ajay Dangi, Hariom Barsoliya, Vijay Agnihotri and other artistes also attended the programme.

Vishisht School of Management tion system by replacing rote learning.

Prof M Jayappa said that we have to make learning interactive, engaging, and motivating. As a part of education we have to evaluate student's skills and abilities which help them to choose their subjects.

Prof P Purushotam Rao said that teachers have to bring modern teaching methods while teaching and create a fair environment in their organization. Prof TA Shiware shares

his experience working in ICA and he talks about who has been divisional commissioner for the third time in 22 months.

In 2021, Singh was appointed commissioner of Narmadapuram division. He became commissioner of Bhopal divi-

sion last year. he has Now. been posted as commissioner Indore. Singh has already held various posts in tribal areas in Malwa region. He has lot of influence among

the tribal people in this area.

The directly recruited IAS officers are generally keen on becoming commissioner of Indore division.

Nevertheless, the government has counted on a promotee IAS officer because of the ensuing election.

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला खरगोन (म.प्र.) PH (07282) 232363 (O) (07282) 233601 (O) Fax (07282) 231668) email- dmkhargone@nic.in email- osrevkhr@mp.gov.in क्रमांक/1547/वाचक-2/2023 प्रकरण क्रमांक/0044/ बी- 108(3)/2023-24 खरगोन, दिनांक 21/07/2023

1. श्री. आयुष महेश्वरी पिता श्री नारायणजी महेश्वरी

2. श्री नारायण महेश्वरी, ओपिपल चौक 118. एम. जी. रोड. सनावद पीपल चौद के पास, सनावद, जिला खरगोन

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी पिरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फायनेंस लि. (पूर्व में दीवान हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड) 503–505, पाँचवीं मंजिल, ऐरन हाइट्स, स्कीम नं. 54, पीयू 3, प्लॉट नंबर 13/14, विजय नगर इन्दौर द्वारा निवेदन किया गया कि बंधक संपत्ति भूखण्ड क्रमांक 32, अग्रसेन नगर कॉलोनी, पहनं. 102, वार्ड नं. 13, खसरा नं. 120/4, सनावद, जिला खरगोन जिसका कुल क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट जिसकी चतुःसीमा पूर्व में - भूखण्ड क्रमांक 01 की भूमि, पश्चिम में- कॉलोनी का रोड, उत्तर में भूखण्ड क्रमांक 33 की भूमि, दक्षिण में कॉलीनी का रोड है, पर बकाय ऋण राशि का चुकारा आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूत सम्पत्ति का कब्जा ही सौंपा गया है। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूति के रूप में रखी सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अतः इस संबंध में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई / जवाब हेत् न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला खरगोन में दिनांक 09.08.2023 को दोपहर 2:00 बजे होगी । आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहें। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसमें आप स्वयं

अपर जिला दण्डाधिकारी

RATHI REMOVED FOR ERRORS IN VOTERS **LIST IN 2018 MADE COLLECTOR AGAIN**

efore the polls, the Election Commission may shift Tarun Rathi who has been appointed collector.

commission removed Rathi before the assembly election in 2018, because some er-

in the voters' list in Shivpuri district. In 2018, by-election was held in Kolaras, Shivpuri.

rors cropped up

The Congress made a complaint about irregularities in the voters' list during the by-poll. Rathi delayed so much in sending reports that he could not be removed before the polling.

The commission sent a

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला खरगोन (म.प्र.) PH (07282) 232363 (O) (07282) 233601 (O) Fax (07282) 231668) email- dmkhargone@nic.in email- osrevkhr@mp.gov.in कमांक / 1549 / वाचक - 2 / 2023 प्रकरण क्रमांक/0054/ बी- 108(3)/2023-24 खरगोन, दिनांक 21/07/2023

1. जाकिर हसैन पठान पिता पीर मोहम्मद पठान, 10, आजाद मार्ग मस्जिद मोहल्ला कसरावद जिला खरगोन श्री रेहान पठान, निवासी गाड़ी खाना

प्रेस विज्ञप्ति

गाडी मुडी ऑफिस के पास, मंडलेश्वर प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी पिरामल कैपिटल

एण्ड हाउसिंग फायनेंस लि. (पूर्व में दीवान हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड) 503–505 पाँचवीं मंज़िल एरन हाइट्स, स्कीम नं. 54 गीयू– 3, प्लॉट नंबर 13/14, विजय नगर इन्दौर द्वारा निवेदन किया गया कि बंधक संपत्ति भूखण्ड एवं उस निर्मित भवन- मकान नंबर 10, आजाद मार्ग मस्जिद मोहल्ल कसरावद, जिला खरगोन जिसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्गफीट। जिसकी चतुःसीम पूर्व में रेहमान रमजान का मकान, पर्श्चिम मे नगर में आने जाने का आम रास्ता, उत्तर मे गोहम्मद युसुफ का मकान, दक्षिण में भुरेखा मास्टर सां, का मकान है। पर बकाया ऋण राशि का चुकारा आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूत सम्पत्ति का कब्ज़ा ही सौंपा गया है। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभतहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभृति वे रूप में रखी सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जावे। अतः इस संबंध में एतद् द्वारा सूचित किया

जाता है कि मामले की सुनवाई/ जवाब हेतु न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला खरगोन में दिनांक 03.08.2023 को दोपहर 2:00 बजे होगी आप प्रकरण वे संबंध में समस्त दस्तावेज़ व साक्ष्य सहित उपस्थित रहें। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसमे आप स्वयं

> अपर जिला दण्डाधिकारी जिला खरगोन (म.प्र.

report against Rathi. So, he was removed from Shivpuri just before the assembly election in

Rathi was also shifted from Damoh after a byelection.

gress leader JP Dhanopia said officers, whom the Election Commission found guilty of committing errors in voters' list, were again

appointed collectors, which was wrong. Dhanopia said the par-

ty would soon make a complaint to the commis-

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला खरगोन (म.प्र.) PH (07282) 232363 (O) (07282) 233601 (O) Fax (07282) 231668 email- osrevkhr@mp.gov.in क्रमांक / 1543 / वाचक - 2 / 2023 प्रकरण क्रमांक / 0046 / बी - 108(3) / 2023 - 24 खरगोन, दिनांक 21/07/2023 प्रेस विज्ञप्ति

. श्री जितेन्द्र खेडे पिता श्री परसराम खेडे (ऋणी), पता ई.डब्ल्यूएस. मकान नं 46, पहनं. 27, गांधी नगर होमगार्ड ऑफिस के पीछे, खरगोन 2. श्री परसराम खेडे (सह ऋणी)

पता: - 3 / के शास्त्री नगर, बिस्टान रोड, खरगोन

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी पिरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फायनेंस लि. (पूर्व में दीवान हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड) 503 – 505 पाँचवी मंजिल एरन हाइट्स, स्कीम नं. 54, पीयू–3, प्लॉट नंबर 13 / 14, विजय नगर इन्दौर द्वारा निवेदन किया गया कि बंधक संपत्ति भूखण्ड एवं उस निर्मित भवन-ई.डब्ल्यूएस. मकान नं. 46, पहनं. 43, (नगर पालिका की आवासीय योजना) गांधी नगर, होमगार्ड ऑफिस के पीछे खरगोन जिसका कुल क्षेत्रफल 450 वर्गफीट जिसकी चतुःसीमा पूर्व में भवन कमांक 67. पश्चिम में कॉलोनी का रोड, उत्तर में भवन कमांक 47, दक्षिण में भवन कमांक 45 है, पर बकाया ऋण राशि का चुकारा आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूत सम्पत्ति का कब्जा ही सौंपा गया है। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पनर्गठन और प्रतिभूतहित प्रवर्तेन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूति के रूप में रखी सम्पत्ति का

अतः इस संबंध में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई/जवाब हेतु न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला खरगोन में दिनांक 10.08.2023 को दोपहर 2:00 बजे होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहें। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसमें आप स्वयं

> अपर जिला दण्डाधिकारी जिला खरगोन (म.प्र.)

YES BANK LIMITED

Branch Office: Ward No.8, RM Tower Municipal No.269, Gorakunj Chorayaa, Near Rajwada, Mahatma Gandhi Road, Indore, M.P. - 452001

POSSESSION NOTICE (U/s. Rule 8 (1) - for immovable property) The undersigned being the Authorized Officer of YES Bank Ltd. under the provisions of the Securitization and Reconstruction of

retary of ICA Dr Kuldip

Sharma, managing director

of Vishisht School of Man-

agement, Naveen Yograj

and director S M Anas Iqbal

Many academicians and

Naveen Yograj welcomed

principals from Indore have

attended this programme.

were the guest speakers.

Financials Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Sec. 13(12) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notices calling upon the respective borrowers mentione hereunder to repay the amounts mentioned in the respective notices U/s.13(2) of the said Act within a period of 60 days. The respective borrowers having failed to repay the said amounts, notice is hereby given to the borrowers and public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on m

under Sec. 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said Rules. The respective borrowers in particular and public in general are hereby cautioned not to deal with the said properties and any dealing with these properties will be subject to the charge of the YES Bank Ltd. for the respective amount mentioned herein below along with interest thereon at contracted rate.

Sr. No.	Name of Borrower/ Co-Borrower & Mortgagor	Loan A/c. No. & Cust ID	Particulars of Immovable Properties mortgaged	Notice Amount (Rs.)	Demand Notice Dt. Date of Re-possession
1	Amit Kumar Tripathi	AFH004000922109	Plot No P-97, Chinar Park, Phase-II, Gram Mhowgaon, Tehsil Mhow, Dist. Indore (M.P.)		19-05-2022 26-07-2023
2	Monu Kumar Chhokar	AFH004000634388	CM-II/604, Pt. Dindayal Upadhyay Nagar, Sukhliya, Dist. Indore (M.P.)	₹ 10,18,677.29/-	19-05-2022 26-07-2023

s contemplated U/s.13(8) of the Act, in case our dues together with all costs, charges and expenses incurred by us are tendered a any time before the date fixed for sale or transfer, the secured asset shall not be sold or transferred by us, and no further step shall be taken by us for transfer or sale of that secured asset

Date: 26.07.2023 Place: Indore

Authorized Officer YES Bank Ltd.

PUBLIC NOTICE

Branch Office: ICICI Bank Ltd., Office Number 201-B, 2110 F1001, 100010101.

Plot No-B3, WIFI IT Park, Wagle Industrial Estate, Thane, Maharashtra-400604

The following borrower/s have defaulted in the repayment of principal and interest of the loans facility obtained by them from the Bank and the loans have been classified as Non-Performing Assets (NPA). A notice was issued to them under Section 13 (2) of Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act-2002 on their last known addresses, however it was not served and hence they are hereby notified by way of this public notice

Sr. No.	Co Borrowarl Cuaranter	Property Address of Secured Asset/ Asset to be Enforced	Date of Notice Sent/ Outsta- nding as on Date of Notice	NPA Date
1.	M/s. Shree Mahaveer Traders Represented by its Proprietor Mr. Lokesh Jain/ Mr. Lokesh Jain/ Mrs. Rinki Lokesh Jain/ Mrs. Pushpabai Rameshchand Dewda alias Mrs. Pushpabai Rameshchand Jain/ 282205002868/ Gram Indokh Road, Jharda, Tehsil Mahidpur, Madhya Pradesh	Survey No. 593, Chopat to	July 05, 2023 Rs. 16,69,634.11/-	06-12- 2022
2.	M/s. Shree Ganesh Building Material Represented By Proprietor Janki Yadav/ Mrs. Janki Yadav/ Mr. Chandra Prakash Yadav/ 075905500345/ 075955000001/ W/o. Late Mr. Shyamlal Yadav Office No.03, Shivaji Park, Dewas- 455001	Residential Plot No. D & Constructed House No. 03 Paiki (Old No. 01), Bhopal Road, Between Bhopal Chouraha to Vishwas Hotel, Dewas, Sr. Dewas, Madhya Pradesh	July 04, 2023 Rs. 21,83,672.02/-	16-04- 2023
3.	M/s. Shri Ji Trading Company Represented by its Proprietor Mr. Balram Agrawal S/o. of Mr. Rajendra, Mr. Balram Agrawal S/o. of Mr. Rajendra, Mrs. Sandhya Ayush Agarwal- Legal Hier of Mr. Ayush Rajendra Kumar Bansal, Mrs. Santoshi Agrawal & Mr. Rajendra Agrawal S/O. of Mr. Ramchandra Ji- 01, Nim Ke Ped ke Pas, Basud Mohalla, Kannod, Dewas, Madhya Pradesh, Dewas- 455332/ 257705500203	Shop No.02, Mahatma Gandhi Marg, Ward Kramank 01, Nagar Panchyat Kannod, Kasba Kannod, Tehsil Kannod, District Dewas, Madhya Pradesh	July 12, 2023 Rs. 43,36, 391.72/-	17-04- 2023

The steps are being taken for substituted service of notice. The above borrower/s and/or their guarantors (as applicable) are advised to make the payments of outstanding within period of 60 days from the date of publication of this notice else further steps will be taken as per the provisions of Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Date: August 01, 2023 Place: Ujjain & Dewas

Authorized Officer

S SHAKTI PUMPING LIFE

SHAKTI PUMPS (INDIA) LTD.

CIN: L29120MP1995PLC009327

Regd. Off.: Plot No. 401, 402 & 413, Sector-III, Industrial Area, Pithampur Dist. Dhar (M.P.)-454774, Phone: 07292-410500, Fax: 07292-410645 Email: cs@shaktipumpsindia.com, Website: www.shaktipumps.com

NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS Sub: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account

Notice is hereby given that pursuant to the provision of Section 124 of the Companies Act 2013 ("the Act") read with the Investors Education and Protection Fund Authority (Accounting Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the Rules) as amended from time to time, the Company is mandatorily required to transfer the Equity Shares of the Company on which dividend entitlements have remained unclaimed or unpaid for seven consecutive years or more to the Investor Education and Protection Fund (IEPF), a fund constituted by the Government of India under Section 124(6) of the Companies Act. 2013.

The Company has sent individual communication to the concerned shareholders at their address registered with the Company whose shares are liable to be transferred to IEPF under the said Rules. By this notice intimation is given that the shares on which dividends have not been claimed for 7 years i.e. since the year 2015-16, are proposed to be transferred to IEPF

The relevant details of unclaimed dividend and shares due for transfer to IEPF have also been uploaded under Investor Relations section on the Company's website: www.shaktipumps.com.

The concerned shareholders are hereby requested to claim their dividend amounts by making an application on or before 03rd November, 2023 to the Company. In case, no valid claim is made on or before the said date, the Company will be compelled to take required action for transfer of the shares to the IEPF.

Concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate in lieu of the original certificate held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF and the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificate into demat form and transfer in favour of IEPF. Further that the original share certificate which is registered in the name of original shareholders and Transferred to the IEPF will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Concerned shareholders holding shares in dematerialized form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of the demat account of the IEPF. In case, the concerned shareholders wish to claim the shares after

transfer to IEPF, a separate application has to be made to the IEPF Authority in Form IEPF-5, as prescribed under the Rules and the same is available at IEPF Website (www.iepf.gov.in). Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed Dividend amount & Shares transferred to IEPF Authority pursuant to said rules. For any information / clarification on this matter, concerned shareholders may write to the Company at

cs@shaktipumpsindia.com or contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent Adroit Corporate Services Pvt. Ltd., 17-20, Jafferbhoy Ind. Estate, Marol Naka, Andheri (E), Mumbai 400059, India Tel. 022-42270400, Email: info@adroitcorporate.com. for Shakti Pumps (India) Limited

Ravi Patidar

SATYA SHYAM TRADING LTD.

CIN: L51102MP1984PLC002664 Regd. Office: 110, Siyaganj, INDORE-452 007 (M.P.) Ph. 0731-2533410, 2533602, E-mail : shyamsaty@rediffmail.com

Website: www.satyashyam.com **Unaudited Financial Results for the Quarter Ended**

30th June, 2023 (₹ in Lacs except per sha					
S.		Quarter Ended			Year Ende
No.	Particulars	30.06.2023 Unaudited	31.03.2023 Audited	30.06.2022 Unaudited	31.03.202 Audited
1	Revenue From Operations				
	Revenue from sale of product	958.29	999.57	755.51	4028.25
_	Other Income	1.93	2.17	1.74	8.21
	Total Income	960.22	1001.74	757.25	4036.46
2	Expenses				
	Purchase of Stock-in-trade	991.27	325.90	790.79	3768.12
	Changes in Inventories of Stock-in-Trade	-86.44	450.02	-83.47	-75.17
	Employee Benefit Expenses	6.50	49.21	5.52	62.71
	Finance Cost	4.59	7.78	4.43	17.9
	Depreciation, amortization & impairment	2.14	5.45	1.20	9.00
_	Other Expenses	18.27	165.80	17.21	210.48
_	Total Expenses	936.33	1004.17	735.68	3993.16
3	Profit / (Loss) Before Tax and Exceptional Items	23.89	-2.43	21.57	43.30
4	Exceptional Items Exceptional Items	0.00	0.00	0.00	0.00
5		23.89	-2.43	21.57	43.30
5 6	Profit / (Loss) Before Tax	23.89	-2.43	21.57	43.30
ь	Tax Expenses: Current Tax	0.00	10.00	0.00	22.00
	Deferred Tax	0.00	-10.00	0.00	-9.6°
	Taxation for earlier years	0.00	3.24	0.00	3.4
\dashv	Total Tax Expense	0.00	3.17	0.00	15.8
7	Profit / (Loss) for the period from	0.00	3.17	0.00	13.0
	Continuing Operation	23.89	-5.61	21.57	27.48
8	Profit / (Loss) for the period from				
	Discontinuing Operation	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Tax expenses from discontinuing operation	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Profit / (Loss) for the period from Discontinuing Operations	0.00	0.00	0.00	0.00
11		23.89	-5.61	21.57	27.48
	Other Comprehensive Income / (Loss)	20.03	-5.01	21.07	27.40
'-	A (i) Items that will not be				
	reclassified to profit or loss	4.35	-1.55	-2.60	1.56
	(ii) Income Tax relating to items that will				
	not be reclassified to profit & loss	0.00	1.28	0.00	1.28
	B (i) Items that will be				
	reclassified to profit or loss	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) Income Tax relating to items that will be reclassified to profit & loss	0.00	0.00	0.00	0.00
_	Other Comprehensive Income / (Loss)	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.35	-0.27	-2.60	2.84
	for the period / year net of tax				
13	Total Comprehensive Income				
13		28.24	-5.88	18.97	30.3
13	Total Comprehensive Income for the Period Paid-up Equity	318.81	318.81	318.81	318.8
13	Total Comprehensive Income for the Period				

auditors of the Company have carried out a limited review of the aforesaid results, for the quarter auditors of the Company have carried out a limited review of the aforesaid results, for the quarter ended 30 June, 2023. (2) The above financial results are prepared in compliance with Indian Accounting Standards ("IND-AS") as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") [Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015] as amended and accordingly these financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principals laid down in the IND AS 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued there under. (3) The company is engaged companies Act, 2013 fead with relevant fuels issued there under. (3) The company is engaged primarily in the business of Tea trading and accordingly there are no separate reportable segments.

(4) The figures for the quarter ended 31st March 2023 are the balancing figure between audited figures in respect of full financial year and the limited reviewed published year to date figures up to the third quarter of the financial year ended 31st March, 2023. (5) The provision for income tax, will be considered at the year end. (6) The figures for the previous quarter / year have been regrouped / rearranged wherever necessary to confirm to the current year presentation.

By order of the Board For Satya Shyam Trading Limited Sd/-S.P. Agarwal (Managing Director) DIN: 00545387

Date: 31.07.2023